



Neutral Citation No. – 2026:AHC:1847

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट याचिका - बी संख्या - 4950 वर्ष 2025

भगवत सरन और 4 अन्य

याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य

उत्तरदाता

याचिकाकर्ता के वकील : नीरज कुमार पांडे, संतोष कुमार तिवारी
प्रतिवादी के वकील : सीएससी, शेर बहादुर सिंह

न्यायालय संख्या - 55

माननीय चंद्र कुमार राय, न्यायमूर्ति।

1. हमने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री संतोष कुमार तिवारी, राज्य के विद्वान अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री अंजनी कुमार चौरसिया और प्रतिवादी-गांव सभा के विद्वान अधिवक्ता श्री शेर बहादुर सिंह की दलीलें सुनीं।

2. यह याचिका निम्नलिखित राहतों के लिए दायर की गई है:

i. प्रतिवादी संख्या 2/ राजस्व बोर्ड, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को निर्देश देने के लिए परमादेश के रूप में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए कि वह राजस्व बोर्ड, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के समक्ष द्वितीय अपील संख्या 4154/2025 (शांति देवी और अन्य बनाम अतिरिक्त आयुक्त (न्यायिक)-II, बरेली मंडल, बरेली और अन्य) में लंबित याचिकाकर्ताओं के स्थगन आवेदन पर इस माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर विचार करे और निर्णय ले।"

ii. प्रतिवादियों को संपत्ति की प्रकृति और कब्जे के अधीन, मौके पर यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश देने वाला परमादेश (रिट, आदेश या निर्देश) जारी करें।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने बताया कि यूपीजेडए एवं एलआर अधिनियम की धारा 229-बी के तहत दायर मुकदमे से संबंधित दूसरी अपील और स्थगन आवेदन प्रतिवादी संख्या 2/ राजस्व बोर्ड के समक्ष 18.9.2025 से लंबित है। उन्होंने आगे बताया कि अभी तक

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



दूसरी अपील और स्थगन आवेदन को स्वीकार करने के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया गया है, अतः उचित आदेश पारित करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए जाएं। दूसरी अपील के साथ-साथ स्थगन आवेदन को भी स्वीकार कर लिया गया है।

4. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, इस रिट याचिका का अंतिम निपटारा करते हुए प्रतिवादी संख्या 2/ राजस्व बोर्ड, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को निर्देश दिया जाता है कि वह इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से दो सप्ताह की अवधि के भीतर द्वितीय अपील को स्वीकार करने का आदेश पारित करे और द्वितीय अपील को स्वीकार करने का आदेश पारित करने के बाद, द्वितीय अपील के समर्थन में दायर स्थगन आवेदन पर द्वितीय अपील को स्वीकार करने का आदेश पारित होने की तिथि से दो सप्ताह की अवधि के भीतर कानून के अनुसार उचित आदेश पारित करे।

(चंद्र कुमार राय, न्यायमूर्ति)

6 जनवरी, 2026

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"